

Telephone:23007814
Fax No :23014903

DHRD/76257/Store Assistant 'A' & 'B'/RRs/C/P/01
Government of India
Ministry of Defence
Defence Research & Dev.Org
Directorate of Human Resource Development
DRDO Bhawan, 'B' Wing
New Delhi-110011


07 Oct 2022

To,
The Director,

(All Labs/Estts)

Sub: **AMENDMENT OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF
STORE ASSISTANT 'A' & 'B'**

Recruitment Rules published in the official Gazette vide SRO-57 "Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Store Assistant 'B' and Store Assistant 'A' (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022" is forwarded herewith for your information.


(Rajesh Kumar)
Dy. Dir (HRD)

Encls: As above

Copy to :-

Secretary, D(R&D), DESIDOC, DOP, DOP(Pers-TC), (Pers-AFHQ), Pers (AA-1), Pers (AA-2), Pers (S-4), CAO-A1(B)
All Recognized Associations and Federations of DRDO
All DG(DRDO)
Leader/Secretary Staff Side/All JCM Members
DRONA, Min of Def/D (R&D), Min of Def (Fin/R&D), New Delhi



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06102022-239342
CG-DL-W-06102022-239342

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, सितम्बर 18— सितम्बर 24, 2022, शनिवार/भाद्र 27— आश्विन 2, 1944
No. 22] NEW DELHI, SEPTEMBER 18— SEPTEMBER 24, 2022, SATURDAY/BHADRA 27— ASVINA 2, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)
नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

का.नि.आ. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' और भंडार सहायक 'ख') पद, भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, में भंडार सहायक 'क' और भंडार सहायक 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार सहायक 'ख' और भंडार सहायक 'क' (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भंडार सहायक 'ख'	190* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे भंडार सहायक 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, कि परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निदेशक - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या वरिष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II से अन्यून पंक्ति के दो अधिकारी या संबंधित प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से कोई समतुल्य अधिकारी - सदस्य 	लागू नहीं होता।

3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 या वैज्ञानिक 'सी' से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी जिसका संबंधित संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से संबंध न हो या डीआरडीओ मुख्यालय से समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी	- सदस्य।
--	----------

(1)	(2)	(3)
2. भंडार सहायक 'क'	235* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय।

(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक अर्हताएं: (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक:- (क) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या (ख) हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (समय-10 मिनट) पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए पांच कुंजी दबाव की औसत से 10500 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा या 9000 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप हो)।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तथा विहित परीवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए कम से कम दो	(क) सीधी भर्ती द्वारा 85% ; (ख) समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए सीमित, विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 10% ;

सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	(ग) समूह 'ग' कर्मचारी के मध्य चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 5%।
---	---

(11)	(12)	(13)
<p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000-56900 रु) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने 12वीं की परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, उनकी विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 10%।</p> <p>टिप्पण 1: परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष है।</p> <p>टिप्पण 2: यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, तो कर्मचारियों की ऐसे बड़ी संख्या को आने वाले वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए।</p> <p>(ii) समूह ग के कर्मचारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) के पदों में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, उनके बीच अचयन आधार के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 5%।</p> <p>टिप्पण: "जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरा कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हता या पात्रता वाली सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या 2 वर्ष इनमें से जो भी कम हो, कम न</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और कास प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष 2. किसी भी सहभागी स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं से 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी II या वरिष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी II या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति के 2 अधिकारी; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी I या वैज्ञानिक 'सी' की पंक्ति या उससे अन्यून पंक्ति का कोई भी एक अधिकारी जो किसी भी संघटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं हो या समतुल्य स्तर के अधिकारी जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मुख्यालय के सदस्य हो। <p>समूह 'ग' विभागीय समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -अध्यक्ष 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या वरिष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति या उससे अन्यून पंक्ति के 2 अधिकारी जो किसी भी सहभागी 	<p>आवश्यक नहीं है।</p>

<p>हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हता वाली सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।”</p>	<p>प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं के सदस्य हो;</p> <p>3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'सी' के पंक्ति या उससे अन्यून पंक्ति के एक ऐसे अधिकारी जो किसी भी संघटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं हो या समतुल्य स्तर के एक अधिकारी जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मुख्यालय के सदस्य हो।</p>	
---	--	--

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/भंडार सहायक 'क' एवं 'ख'/आरआरएस/सी/पी/01/944/डी(आर एवं डी)]

हर्पा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 15th September, 2022

S.R.O. 57.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') post, Recruitment Rules 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Store Assistant 'B' and Store Assistant 'A' in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—

1. Short, title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Store Assistant 'B' and Store Assistant 'A' (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for

appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Store Assistant 'B'	190* (2022) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix (25500-81100)	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	100 per cent. by promotion	<p>Promotion: Store Assistant 'A' in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Defence Research and Development Laboratory, Defence Research and Development Organisation - Chairman 2. Two officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer 	Not applicable.

from any of the participating Laboratories or Establishments	- Member	
3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or officer of equivalent level from Defence Research and Development Organisation Headquarters	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Store Assistant 'A'.	235* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (19900-63200).

(5)	(6)	(7)
Non-selection	<p>Between 18 and 27 years of age.</p> <p>(Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>Essential qualifications:</p> <p>1. 12th class pass from a recognised Board.</p> <p>2. Skill test norms on Computer:</p> <p>(a) English typing @ thirty five words per minute; or</p> <p>(b) Hindi typing @ thirty words per minute</p> <p>(Time allowed – ten minutes.</p> <p>(thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour on an average of five key depressions for each word).</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable	<p>Two years for direct recruitments.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>(i) Eighty-five per cent. by direct recruitment;</p> <p>(ii) Ten per cent. by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Group 'C' employee;</p> <p>(iii) Five per cent. by promotion on the basis of selection basis from amongst Group 'C' employee.</p>

(11)	(12)	(13)
(i) Ten per cent. by promotion through Departmental examination from Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) and who possess 12 th class pass or equivalent and had rendered	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Director of Defence Research and Development Laboratory, Defence Research and</p>	Not necessary.

<p>three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years in case of general candidates and fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.</p> <p>Note 2: If more of such employees that the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at the later examination.</p> <p>(ii) Five per cent. by promotion on the basis of Non-selection basis from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in the posts in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).</p> <p>Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Development Organisation -Chairman</p>		
	<p>2. Two officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer from any of the participating Laboratories or Establishments. -Member</p>		
	<p>3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or officer of equivalent level from Defence Research Development Organisation Headquarters Member</p>		
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p>			
	<p>1. Director of Defence Research and Development Laboratory, Defence Research and Development Organisation -Chairman</p>		
	<p>2. Two officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer from any of the participating Laboratories or Establishments. -Member</p>		
	<p>3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or officer of equivalent level from Defence Research and Development Organisation Headquarter -Member.</p>		

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant 'A' & 'B'/RRs/C/P/01/944/D(R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

रक्षा उत्पादन विभाग

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.नि.आ. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' (निजी सचिव) पद भर्ती नियम, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-